न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 200/2016 बउनवानी मोती लाल पुत्र रामसहाय **बनाम** नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर
जाति मीना निवासी ग्राम अजनोटी तहसील सवाईमाधोपुर

उप0–1. श्री मुकेश बंसल, वकील अपीलान्ट 2. श्री छोटू सिंह गुर्जर पैरोकार राजस्व

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न.वा. अहलकार जो हुकम की तामील न जारी हुआ
11.2.2017	अपीलान्ट द्वारा जल्द सुनवायी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत मे करने बाबत निवेदन किये जाने पर प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझोते की भावना से निस्तारण हेतु यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्ट स्वंय,वकील अपीलान्ट,पैरोकार राजस्व एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के सदस्यगण उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा **मिसल संख्या 163/2016 में ग्राम अजनोटी की आराजी संख्या 1334 रकबा 0.2 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह की भूमि में सम्वत् 2072** रबी बजरी को ढेर डालना अंकित करते हुये अतिक्रमणी माना है एवं **दिनांक 26.2.2016** को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस की सिविल कारावास से सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा विवादित अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, साथ ही आदेश जैर अपील के तहत अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत भी निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया हे कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने व पुनः अतिक्रमण नही करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है, किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कब्जा हटा लेने बाबत भौतिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनापत्ती प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्क विधि अनुरूप है, अतः अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक **स्वीकार** की जाती है कि नायब तहसीलदार **सवाईमाधोपुर** मौके पर जॉच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील द्वारा अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ समझी जावे एंव यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में भी पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 11.2.2017 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे । आज्ञा सुनायी गयी । श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत श्री मिश्री लाल बैरवा सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत (के.सी.वर्मा) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	